पत्रांक–10/नि0 स्था0 व्यय आ0 (निबंधन) – 21/2025 68/आ॰ रा0,

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

जिला अवर निबंधक,
हजारीबाग, सिमडेगा एवं गिरिडीह।

राँची, दिनांक– 15-10-2025

विषयः– स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष–2030–स्टाम्प पंजीकरण, उप मुख्यशीर्ष–03–पंजीकरण, लघुशीर्ष–001– निदेशन एवं प्रशासन, उपशीर्ष–02–जिला प्रभार के अंतर्गत विभिन्न इकाईयों में कुल **₹55,50,000/-** (पचपन लाख पचास हजार रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2025–26 में विषयांकित बजट शीर्ष के अन्तर्गत जिला अवर निबंधक, हजारीबाग के पत्रांक–1790, दिनांक–16.09.2025, जिला अवर निबंधक, सिमडेगा के पत्रांक–119, दिनांक–25.07.2025, जिला अवर निबंधक, गिरिडीह के पत्रांक–945, दिनांक–12.08.2025 से प्राप्त अधियाचना के आलोक में वेतन एवं व्यवसायिक सेवाएँ इकाई में कुल **₹55,50,000/-** (पचपन लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि निम्न प्रकार आवंटित की जाती है।

क्र.	इकाई	हजारीबाग	सिमडेगा	गिरिडीह	कुल
DDO Code		HZBSNR002	SDGSNR002	GRDSNR002	
1	वेतन	4000000	0	0	4000000
2	व्यवसायिक सेवाएँ	500000	500000	550000	1550000
	कुल	4500000	500000	550000	5550000

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिले के संबंधित डी0डी0ओ0 में दिया गया है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 322/वि., दिनांक–28.01.2002, 1800/वि., दिनांक–15.07.2003 एवं 338/बजट, दिनांक–28.03.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।

5. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन एवं 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।

कृ0पृ0उ0

sec10/23-24/reg.allot.(lalit)

6. सभी DDOs को निदेश दिया जाता है कि सरकारी आवास में रहने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए कि वह HRA नहीं ले रहे हैं एवं लाईसेंस फी की कटौती हो रही है।

7. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. राशि निकासी से संबंधित विपत्र पर शीर्षादि एवं माँग संख्या–38 के अतिरिक्त विपत्र कोड का इकाईवार उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।

10. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–15.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय।

11. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

अनु0–आवंटन विवरणी।

विश्वासभाजन,

14/x

(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–10/नि0 स्था0 व्यय आ0 (निबंधन) – 21/2025 6. राँची, दिनांक–15-10-2025

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/जिला कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग, सिमडेगा एवं गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/x/xxv

सरकार के सचिव।